

अंचल अधिकारी 20.11.2016 का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 382 (12/16-12)

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

11-2-16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

नौजा- 292m, थाना- 36, खाता संख्या- 22, प्लॉट संख्या- 254, रकबा- 1.25, एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस नौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 01, के पृष्ठ संख्या- 80, पर जमाबंदी रैयत (1) (2) (3) के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को अतिरिक्त प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा सनर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 18-2-16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

19.7.16 कमिटीय उपस्थिति / गोरख का दायित्व
 प्राप्त / पश्चात् उपस्थिति / उपरोक्त अति-
 विचार में आने द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं
 किया गया है।

कमिटीय रिपोर्ट - 26/7/16 को (ले)।

कमिटीय अध्यक्ष
 गोविंदरा

26.7.16 कमिटीय - उपस्थिति - 1 गोरख - का - दायित्व - प्राप्त -
 प्रकार - उपस्थिति - उपरोक्त - अति - के अन्तर्गत - के - पक्ष
 द्वारा पक्षीय - अन्तर्गत (2) पक्षीय दायित्व, लगातार - (1/16)
 का दायित्व - पक्षीय - प्राप्त है।

कमिटीय - आदेशाथ 26/7।

कमिटीय - अध्यक्ष -
 गोविंदरा -

संदिग्ध
 जमाबंद
 मौजा
 2427
 जमा
 जम
 1. ख
 6. ति
 7.
 8.
 9.